मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालयः–उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर जिला–सलूम्बर (राज.)

बजरिये श्री पर्वत सिंह चूण्डावत आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 33 / 2023 रा.वा.

जी.सी.एम.एस. नम्बर–2023 / 108

उनवान

1. श्री हिरा पिता स्व. नाथूजी पटेल उम्र बालिग जाति डांगी निवासी मांडली तह. झल्लारा हाल जिला सलूम्बर (राज.)
2. श्री मति वालू पत्नी स्व. नाथू जी पटेल उम्र बालिग जाति डांगी निवासी मांडली तहसील झल्लारा जिला सलूम्बर (राज.)

–वादीगण

बनाम

1. श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय उदयपुर हाल जिला सलूम्बर (राज.)(प्रतिनिधि राज्य सरकार)
2. श्रीमान भूमिधारी तहसीलदार महोदय तहसील झल्लारा हाल जिला सलूम्बर (राज.)

–प्रतिवादीगण

वाद अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनयम एवं
इन्द्राज दुरुस्ती अतर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट एवं धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के लिए दावा वादीगण की ओर से एडवोकेट श्री प्रकाश कुमार जोशी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 2 की ओर से एडवोकेट श्री राजकुमार जैन की उपस्थिति में न्यायालय के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता हैं कि:– वादी का वाद साबित नही पाये जाने से खारिज किया जाता है।

इसके वाद के खर्चे पक्षकार अपना–अपना वहन करे।

यह डिक्री आज दिनांक 27/01/25 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गयी।

(पर्वत सिंह चूण्डावत RAS)
सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

वाद के खर्चे

वादी	रूपये	पैसे	प्रतिवादी	रूपये	पैसे
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	02	–	शक्ति–पत्र के लिए स्टाम्प	2	–
2. शक्ति–पत्र के लिए स्टाम्प	02	–	अर्जी के लिए स्टाम्प	–	–
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	00	–	प्लीडर की फीस	–	–
4. रूपये पर लीडर की फीस	–	–	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	–	–
5. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	–	–	आदेशिका की तामील	–	–
6. कमिश्नर की फीस (तलवाना)	05	–	कमिश्नर की फीस	–	–
7. आदेशिका की तामील	–	–		–	–
योग	09	–	योग	02	–

उपखण्ड अधिकारी,
सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

न्यायालयः–उपखण्ड अधिकारी, सलुम्बर जिला–सलूम्बर (राज.)

बजरिये श्री पर्वत सिंह चूण्डावत आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 33/2023 रा.वा.

जी.सी.एम.एस. नम्बर–2023/108

उनवान

1. श्री हिरा पिता स्व. नाथूजी पटेल उम्र बालिग जाति डांगी निवासी मांडली तह. झल्लारा हाल जिला सलूम्बर (राज.)
2. श्री मति वालू पत्नी स्व. नाथू जी पटेल उम्र बालिग जाति डांगी निवासी मांडली तहसील झल्लारा जिला सलूम्बर (राज.)

–वादीगण

बनाम

1. श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय उदयपुर हाल जिला सलूम्बर (राज.)(प्रतिनिधि राज्य सरकार)
2. श्रीमान भूमिधारी तहसीलदार महोदय तहसील झल्लारा हाल जिला सलूम्बर (राज.)

–प्रतिवादीगण

वाद अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनयम एवं इन्द्राज दुरुस्ती अतर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

–::निर्णय::–

दिनांकः– 27/01/2025

सहायक कलक्टर सलूम्बर

उपस्थितिः श्री प्रकाश कुमार जोशी –वादीगण
श्री राजकुमार जैन – प्रतिवादीगण।

वादी के वाद के संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है कि वादी संख्या 1 श्री हिरा एवं 2 श्रीमति वालू के मध्य माँ बेटे का रिश्ता है जो स्वर्गीय नाथू पिता दल्लाजी डांगी के विधिक वारिसान है दोनों ग्राम मांडली तहसील झल्लारा जिला उदयपुर हाल जिला सलूम्बर (राज) के मूल निवासी होकर ग्रामीण परिवेश के सद्भाविक काश्तकार होकर कृषि भूमि से अपनी आजीविका चलाते आ रहे है सन् 2020 में पटवारी साहब वक्त गिरदावरी मोके पर आये तो वादीगण को बताया कि वादीगण के कब्जे काश्त कि कृषि भूमि ग्राम मांडली पटवार हल्का झल्लारा भू.अभिलेख झल्लारा कि हाल आ.नं. 760/0.19, 761/0.41 कुल रकबा 0.60 हे. राजस्व रिकार्ड में बिलानाम दर्ज है तब वादी/वादीगण ने राजस्व रिकार्ड से उक्त भूमि के हाल आराजी नम्बर 760/0.19, 761/0.41 कुल रकबा 0.60 हे. एव साबिक आ.नं.1052 का मिलान क्षेत्रफल व साबिक आ.नं. 1052 की जमाबंदी नकल प्राप्त कि तो पता चला कि वादी/वादीगण संख्या 1 के पिता और 2 के पति स्वर्गीय नाथू पिता दल्लाजी डांगी को जमाबंदी सम्वत 2037–2040 के खाता सख्या 01/01 में दर्ज बिलानाम कृषि भूमि में से साबिक आराजी नम्बर 1052 मीन रकबा दो बीघा पंद्रह बिस्वा कृषि भूमि का दिनांक 30/01/1983 जरिये आवंटन पत्रावली संख्या 1275/1983 द्वारा नियमानुसार कृषि प्रयोजन हेतु आवंटन हुआ था। नामान्तरण सख्या 345 नाथू पिता दल्लाजी डागी के नाम नामान्तरण का दाखला लगा हुआ है उक्त कृषि भूमि ग्राम मांडली पटवार मंडल झल्लारा की हाल जमाबंदी 2075 से 2078 के खाता संख्या 01 में आ.नं. 760/ 0.19, 761/0.41 कुल रकबा 0.60

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

हैक्टेयर बिलानाम सरकार दर्ज है। राजस्व जमाबंदी में आवंटी स्वर्गीय नाथू पिता दल्लाजी डांगी के नाम उक्त कृषि भूमि गैर खातेदारी हक से अमलदरामद नहीं होने के कारण वक्त पैमाईस अमीनो द्वारा बिना किसी जाँच पडताल के व बिना किसी वैध आदेश के व सुचना के उक्त कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में बिलानाम सरकार दर्ज कर दी गई थी जिसका उन्हें कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं था।

वादी संख्या 1 हिरा पिता नाथूजी डांगी द्वारा प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021 में दिनांक 0605 / 2022 को केम्प ग्राम पंचायत देवला कला तहसील झल्लारा व दिनांक 24 / 10 / 2022 को केम्प झल्लारा तह. झल्लारा में केम्प प्रभारी महोदय को उक्त कृषि भूमि को इन्द्राज दुरुस्ती कर पुनः वादी संख्या 1 हिरा पिता नाथूजी व 2 श्री मति वालू पत्नी स्व. नाथू जी डांगी के नाम खातेदारी हक से दर्ज किये जाने का आवेदन पेश किया था जिस पर केम्प प्रभारी द्वारा आर आई झल्लारा के नाम प्रार्थना पत्र कि जाँच कर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया गया था तथा उक्त आदेशानुसार आर आई झल्लारा द्वारा जाँच की गई और जाँच रिपोर्ट में यह पाया कि वादी वादीगण संख्या 1 के पिता और 2 के पति स्वर्गीय नाथू पिता दल्लाजी डांगी को जमाबंदी सम्वत 2037–2040 के खाता संख्या 01 / 01 में दर्ज बिलानाम कृषि भूमि में से साबिक आराजी नम्बर 1052 रकबा दो बीघा पद्रह बिस्वा कृषि भूमि का दिनांक 30 / 01 / 1983 जरिये आवंटन पत्रावली संख्या 1275 / 1983 दवारा कृषि प्रयोजन हेतु आवटन हुआ था। तथा साबिक आराजी नम्बर 1052 रकबा दो बीघा पंद्रह बिस्वा से बने नये हाल आ.नं. 760 / 0.19. 761 / 0.41 कुल रकबा 0.60 हे. पर प्रार्थी वादी / वादीगण का कब्जा काश्त है तथा ग्राम मांडली के नामान्तरण संख्या 345 दिनाक 27 / 06 / 1983 द्वारा साबिक आराजी नम्बर 1052 रकबा दो बीघा पंद्रह बिस्वा कृषि भूमि पर स्वर्गीय नाथू पिता दल्लाजी डांगी को गैर खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये थे आदेशानुसार जाँच रिपोर्ट आर. आई. झल्लारा द्वारा दिनांक 23 / 01 / 2023 को केम्प प्रभारी श्रीमान तहसीलदार झल्लारा के समक्ष पेश की गई है उसके बाद भी श्रीमान तहसीदार झल्लारा द्वारा उक्त कृषि भूमि इन्द्राज दुरुस्ती दवारा वादी / वादीगण के खाते दर्ज नहीं की गई है। जबकि वादी / वादीगण उक्त कृषि भूमि पर 40 वर्षो से कब्जा काश्त होने से खातेदार काश्तकार हो गये है जिस पर वादी संख्या 1 के पिता व 2 के पति स्व नाथू पिता दल्लाजी डांगी का सन 1983 से बेरोकटोक कब्जा काश्त चला आ रहा था और उनकी मृत्यु बाद वादीगण का उक्त कृषि भूमि पर 40 वर्षो से बेरोकटोक कब्जा होकर काश्त करते आ रहे है तथा वादी वादीगण ने उक्त कृषि भूमि को हजारो रुपया खर्च कर उपजाऊ बनाया है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वादी / वादीगण के पिता व पति स्व. नाथू पिता दल्लाजी डांगी को आवंटन शुदा कृषि भूमि ग्राम मांडली पटवार हल्का झल्लारा भू. अभिलेख झल्लारा हाल तहसील झल्लारा के उक्त साबिक आ.नं. 1052 रकबा दो बीघा पंद्रह बिस्वा के बजाय हाल आ.नं. 760 / 0.19, 761 / 0.41 कुल रकबा 0.60 हैक्टेयर बने है जो ग्राम मांडली पटवार हल्का झल्लारा के हाल जमाबंदी संवत 2075–2078 के खाता संख्या 01 में आ.नं. 760 / 0.19. 761 / 0.41 कुल रकबा 0.60 हे. बिलानाम सरकार दर्ज है जिसे नियमानुसार इन्द्राज दुरुस्ती द्वारा उक्त खाता संख्या 01 से कम कर पुनः खातेदारी हक से वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे तथा राजस्व रिकार्ड में खातेदारी हक से अमलदरामद करने कि डिक्री किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

पत्रावली वाद जांच दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री राजकुमार जैन हाजिर आये। प्रकरण मे तहसीलदार हाल तहसील झल्लारा ने जवाब मे जॉच रिपोर्ट प्रस्तुत कर अंकित किया कि प्रार्थीगणो द्वारा मौजा भाण्डली पटवार हल्का झल्लारा की हाल जमाबन्दी संवत् 2075–78 खाता संख्या 01 आराजी नम्बर 760 रकबा 0.1900 है. किस्म का.क. आराजी नम्बर 761 रकबा

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

0.4100 है. किस्म का.क. होकर बिलानाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। तहसील झल्लारा के पुराने राजस्व रेकार्ड की जाँच की गई जिसमें मौजा माण्डली की जमाबंदी संवत् 2037–40 की खाता संख्या 01 साबिक आराजी नम्बर 1052 पर नामान्तरण संख्या 345 का नाथु पिता दला डॉगी का लाल पेन से दाखला लगा हुआ पाया गया। जमाबन्दी संवत् 2037–40 साबिक आराजी नम्बर 1052 रकबा 2 बीघा 15 बिसवा किस्म का.क. का मिलान क्षेत्रफल अनुसार हाल आराजी नम्बर 757 रकबा 0.2300 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 758 रकबा 0.1300 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 759 रकबा 0.0900 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 760 रकबा 0.1900 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 761 रकबा 0.41 हैक्टेयर कुल किता 05 कुल रकबा 1.0500 हैक्टेयर दर्ज रेकार्ड है। राजस्व ग्राम अलग होने से वर्तमान जमाबन्दी अनुसार ग्राम माण्डली के जमाबन्दी संवत् 2075–78 खाता संख्या 01 आराजी नम्बर 760 रकबा 0.1900 हैक्टेयर किस्म का.क. आराजी नम्बर 761 रकबा 0.4100 हैक्टेयर किस्म का.क. होकर कुल किता 02 रकबा 0.6000 है. बिलानाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है, व राजस्व ग्राम उमडा के आराजी नम्बर 757 किस्म का.क. रकबा 0.2300 है. आराजी नम्बर 758 किस्म का.क. रकबा 0.1300 है. आराजी नम्बर 759 किस्म का.क. रकबा 0.0900 हैक्टेयर कुल आराजी नम्बर 03 कुल रकबा 0.4500 है. दर्ज रिकार्ड हैं। साबिक आराजी नम्बर 1052 रकबा 2 बीघा 15 बिसवा किस्म का.क मिलान अनुसार दोनो राजस्व ग्राम माण्डली व उमडा कुल किता 05 कुल रकबा 1.0500 है. दर्ज रेकार्ड है। जो कि साबिक रकबा व हाल वर्तमान रकबा में भिन्नता हैं। मौका निरीक्षण अनुसार जमाबन्दी संवत् 2075–78 खाता संख्या 01 आराजी नम्बर 760 रकबा 0.1900 है. किस्म का.क., आ.न. 761 रकबा 0.4100 है किस्म का.क. कुल किता 2 कुल रकबा 0.6000 है. पर प्रार्थी श्री हिरा पिता नाथु, श्री गोता पिता मोगा डॉगी निवासी माण्डली उक्त दोनो आराजी पर वर्तमान में काबिल काश्त होकर सोयाबिन कि फसल कि खेती की हुई है।

वादीगण के वाद एवं जवाब मे प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण मे निम्नलिखत तनकियात कायम की गई–

तनकी नम्बर 1– आया मौजा माण्डली पटवार हल्का झल्लारा भू.अ.नि. झल्लारा की साबिक आराजी नम्बर 1052 मीन रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा कृषि भूमि वादी सं. 1 के पिता एवं 2 के पति स्वर्गीय नाथू/दल्लाजी डांगी को आवंटन हुआ ?

– बजिम्मे वादीगण

तनकी नम्बर 2– आया वादीगण वादग्रस्त साबिक आराजी नम्बर 1052 से बने हाल आराजी नम्बर 760/0.19, 761/0.41 कुल रकबा 0.60 हेक्टेयर भूमि वादीगण घोषणा कराने एंव राजस्व रिकार्ड तद्नुसार इन्द्राज दुरुस्ती कराने के अधिकारी है ?

– बजिम्मे वादीगण

तनकी नम्बर 3– दादरसी/अनुतोष ?

वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन मे स्वयं का शपथ पत्र पेश किया एवं बयान कलमबद्ध कराये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में निम्नलिखित दस्तावेज पेश किये–

प्रदर्श–1 जमाबंदी संवत् 2037 से 2040
प्रदर्श–2 मिलान क्षेत्रफल
प्रदर्श–3 नामान्तरण की नकल
प्रदर्श–4 जमाबंदी संवत् 2037 से 2040
प्रदर्श–5 जमाबंदी संवत् 2037 से 2040
प्रदर्श–6 धारा 80 सी.पी.सी का नोटिस
प्रदर्श–7 आवटंन पत्रावली की नकल
प्रदर्श–8 जमाबंदी संवत् 2075 से 2078

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

प्रतिवादीगण ने अपने समर्थन मे कोई गवाह पेश नही कराये। तद्पश्चता पत्रावली मे उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादीगण ने बहस मे कथन किया कि वादीगण के पूर्वज स्व. श्री नाथु पिता दल्ला डांगी को भूमि आवंटन होने के बाद राजस्व रेकार्ड मे गैर खातेदार दर्ज थे सेटलमेन्ट ने बिलानाम कर दी, तथा तहसीलदार का जवाब हमारे पक्ष मे है, हम आज भी मौके पर काबिज होकर खेती कर रहे है। साबिक आराजी नम्बर 1052 से बने हाल आराजी नम्बर 760, 761 हमारे नाम दर्ज करावे।

अधिवक्ता प्रतिवादी ने बहस मे कथन किया कि गैर खातेदारी रहते हुए वाद वर्णित भूमि बिलानाम कर दी इसलिये 88 मे दावा लाने का वादी का कोई अधिकार नही है। अतः वाद खारिज किया जावे।

प्रकरण मे उभयपक्ष की बहस सुनने के उपरान्त तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार है–
तनकी नम्बर 1– आया मौजा माण्डली पटवार हल्का झल्लारा भू.अ.नि. झल्लारा की साबिक आराजी नम्बर 1052 मीन रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा कृषि भूमि वादी सं. 1 के पिता एवं 2 के पति स्वर्गीय नाथू/दल्लाजी डांगी को आवंटन हुआ ?

यह तनकी साबित करने का भार वादीगण पर है। पत्रावली पर प्रस्तुत प्रदर्श 7 आवंटन आदेश दिनांक 30–01–1983 द्वारा आवंटी श्री नाथु पिता दल्ला डांगी को मौजा माण्डली खसरा नम्बर 1052 रकबा 2 बिघा 15 बिस्वा भूमि आवंटन होना जाहिर होता है। उक्त आवंटन आदेश की पालना मे प्रदर्श 3– नामान्तकरण 345 की विशिष्टियो मे नाथु पिता दल्ला डांगी को खसरा नम्बर 1052 रकबा 2 बिघा 15 बिस्वा गैर खातेदारी से आवंटन होना तथा आवंटी द्वारा कमाण्ड प्रीमीयम राशि जमा कराने से इन्कार करने का अंकन है, तथा इसी नामान्तकरण के अंतिम कॉलम मे आवंटी को जो भूमि आवंटीत हुई है वह आम रास्ते के पास मे होकर इसी भूमि से चौडा रास्ता किया जा रहा है का दाखला अंकित है। तथा उक्त की पुष्टि तहसीलदार झल्लारा द्वारा रिपोर्ट से होती है।

तनकी नम्बर 2– आया वादीगण वादग्रस्त साबिक आराजी नम्बर 1052 से बने हाल आराजी नम्बर 760/0.19, 761/0.41 कुल रकबा 0.60 हेक्टेयर भूमि वादीगण घोषणा कराने एंव राजस्व रिकार्ड तदनुसार इन्द्राज दुरुस्ती कराने के अधिकारी है ?

यह तनकी साबित करने का भार भी वादीगण पर है। वादी ने अपने समर्थन मे स्वयं बतौर गवाह हाजिर होकर बयान कराये तथा जीरह मे कथन किया कि "मेरी मॉ जीवित है जिसे पक्षकार नही कनाया गया है। यह बात मुझे नही पता है कि मेरे पिताजी को उक्त भूमि मे गैर–खातेदारी से खातेदारी अधिकार कब प्राप्त हुए तथा यह बात सही है कि मेने खातेदारी अधिकार प्राप्त होने की कोई नामान्तरण की नकल पेश नही की है।" तथा तहसीलदार रिपोर्ट एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकॉर्ड के अवलोकन से साबिक आराजी नम्बर 1052 रकबा 2 बीघा 15 बिसवा किस्म का.क. का मिलान क्षेत्रफल अनुसार हाल आराजी नम्बर 757 रकबा 0.2300 है आराजी नम्बर 758 रकबा 0.1300 है. आराजी नम्बर 759 रकबा 0.0900 है. आराजी नम्बर 760 रकबा 0.1900 है. आराजी नम्बर 761 रकवा 0.41 हैक्टेयर बनना प्रतीत होता है। आराजी नम्बर 760, 761 हाल जमाबंदी प्रदर्श–8 मे बिलानाम सरकार दर्ज अंकित है। प्रदर्श 3– नामान्तकरण 345 की विशिष्टियों मे नाथु पिता दल्ला डांगी को खसरा नम्बर 1052 रकबा 2 बिघा 15 बिस्वा गैर खातेदारी से आवंटन होना तथा आवंटी द्वारा कमाण्ड प्रीमीयम राशि जमा कराने से इन्कार करने का अंकन है तथा वादी द्वारा वादपत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज मे प्रशासन गॉवो के संग अभियान 2021 मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की प्रति पेश की है जिसमे वादी ने यह स्वीकार किया है कि हमारी स्थिति कमजोर होने से कमाण्ड प्रीमीयम राशि जामा नही कराने से आवंटन खारिज हो गया है। अतः यह तनकी साबित करने मे वादीगण पूर्ण रूप से असफल रहे है।

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

बहस पर मनन की गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं रिकॉर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। तनकीयात विवेचन से स्पष्ट है कि गैर खातेदारी से भूमि आवंटन के पश्चात आवंटी द्वारा कामान्ड प्रीमीयम राशि जमा नही कराई गई। जिससे आवंटन शेर्तो की पालना नही होना पाया जाता है। न ही वादीगण ने अपने वादपत्र मे यह साबित कर पाये है कि वादीगण को उक्त भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए थे। वादी ने स्वयं ने प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 मे प्रस्तुत अपने प्रार्थना पत्र मे स्वीकार किया है कि कमाण्ड प्रीमीयम राशि जामा नही कराने से हमारा आवंटन खारिज हो गया है। वर्तमान मे राजस्व रेकार्ड मे वाद वर्णित भूमि बिलानाम सरकार दर्ज अंकित है। अतः वादीगण का वाद साबित नही पाया जाता है।

–::आदेश::–

वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं इन्द्राज दुरुस्ती अतर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का साबित नही पाये जाने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27/01/25 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पर्वत सिंह चूण्डावत RAS)
उपखण्ड अधिकारी सलूम्बर
सहायक कलेक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर